



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 898]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 14, 2018/अग्रहायण 23, 1940

No. 898]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 14, 2018/AGRAHAYANA 23, 1940

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 2018

सा.का.नि. 1210 (अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2009 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में समूह 'ख' पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.** - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, समूह 'ख' पद, भर्ती नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना.** - ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.** - उक्त पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.** - उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त/पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता.** - वह व्यक्ति, -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति.** - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति.** - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. अनुभाग अधिकारी।	*31 (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अनुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स (47600-151100 रु.) में स्तर-8	चयन।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	(i) पचास प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा; और (ii) पचास प्रतिशत सीमित विभागीय प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा के माध्यम से।	प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स (44900-142400 रु.) में स्तर-7 में सहायक अनुभाग अधिकारी जिन्होंने उस ग्रेड में छह वर्ष की अनुमोदित सेवा की हो जिसमें कम से कम पांच वर्ष की नियमित और निरंतर सेवा शामिल होनी चाहिए। टिप्पण 1: भर्ती के वर्ष के पहले दिन ग्रेड में पदावास (रेज़िडेंसी) अवधि के रूप में की गयी अनुमोदित सेवा की गणना प्रोन्नति के लिए की जाएगी। भर्ती की विभिन्न पद्धतियों के लिए 'अनुमोदित सेवा' पद निम्नानुसार होगी: (i) उस ग्रेड में सीधी भर्ती से चयनित किसी अधिकारी के बारे में, उस ग्रेड में की गयी नियमित सेवा की अवधि या अवधियां,

		<p>जिसमें/जिनमें अनुपस्थिति की अवधि अथवा अवधियां शामिल हैं जिसके/जिनके दौरान उसने उस ग्रेड में नियमित आधार पर कोई पद धारित किया होता, किंतु उसके छुट्टी पर होने अथवा ऐसा पद धारित करने के लिए अन्यथा उपलब्ध न होने के नाते उस वर्ष, जिसमें सीधी भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की गयी थी, से आगामी भर्ती के वर्ष के पहले दिन से;</p> <p>(ii) उस ग्रेड में विभागीय परीक्षा के माध्यम से भर्ती किए गए किसी अधिकारी के बारे में, उस ग्रेड में की गयी नियमित सेवा की अवधि या अवधियां, जिसमें/जिनमें अनुपस्थिति की अवधि अथवा अवधियां शामिल हैं जिसके/जिनके दौरान उसने उस ग्रेड में नियमित आधार पर कोई पद धारित किया होता, किंतु उसके छुट्टी पर होने अथवा ऐसा पद धारित करने के लिए अन्यथा उपलब्ध न होने के नाते उस वर्ष, जिसकी रिक्तियों के लिए ऐसी परीक्षा आयोजित की गयी थी, भर्ती के वर्ष के पहले दिन से;</p> <p>(iii) निम्नतर ग्रेड में सेवा की अवधि के आधार पर उस ग्रेड में भर्ती किए गए किसी अधिकारी के बारे में, उस ग्रेड में की गयी नियमित सेवा की अवधि या अवधियां, जिसमें/जिनमें अनुपस्थिति की अवधि अथवा अवधियां शामिल हैं जिसके/जिनके दौरान उसने उस ग्रेड में नियमित आधार पर कोई पद धारित किया होता, किंतु उसके छुट्टी पर होने अथवा ऐसा पद धारित करने के लिए अन्यथा उपलब्ध न होने के नाते उस वर्ष, जिसके लिए भर्ती की गयी थी, भर्ती के वर्ष के पहले दिन से;</p> <p>परन्तु उपर्युक्त उपखंड (i), (ii) और (iii) में उल्लिखित किसी भी मामले में जहां नियुक्ति पर कार्यग्रहण करने में नब्बे दिन से अधिक का विलम्ब होता है, तो ऐसा विलम्ब अधिकारी की ओर से किसी भी चूक के कारण नहीं होना चाहिए।</p> <p>टिप्पण 2: जहां ऐसे कनिष्ठ अधिकारियों, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, वहां उनके वरिष्ठ अधिकारियों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो, और अपने कनिष्ठ अधिकारियों, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है के</p>
--	--	---

		<p>साथ अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के लिए परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>सीमित विभागीय प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा:</p> <p>इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में वेतन मैट्रिक्स (44900-142400 रु.) में स्तर-7 में सहायक अनुभाग अधिकारी और वैयक्तिक सहायक जिन्होंने कम से कम पांच वर्ष की अनुमोदित सेवा पूरी की है, जिसमें वेतन मैट्रिक्स के उस स्तर में कम से कम चार वर्ष की नियमित और निरंतर सेवा शामिल होनी चाहिए और इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में वेतन मैट्रिक्स (35400-112400 रु.) में स्तर-6 में सुरक्षा पर्यवेक्षक जिन्होंने कम से कम सात वर्ष की अनुमोदित सेवा पूरी की है, जिसमें वेतन मैट्रिक्स के उस स्तर में कम से कम छह वर्ष की नियमित और निरंतर सेवा शामिल होनी चाहिए। सहायक अनुभाग अधिकारी, वैयक्तिक सहायक और सुरक्षा पर्यवेक्षक ने सफलतापूर्वक परिवीक्षा की अवधि पूरी की हो और उनके पास निर्धारित तारीख को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समतुल्य डिग्री हो, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में अनुभाग अधिकारी सीमित विभागीय प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा, नियम, 2018 के प्रावधानों के अनुसार आयोजित की जाने वाली सीमित विभागीय प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा में भाग लेने के लिए पात्र होगा।</p> <p>पुनरीक्षित नियमों की अधिसूचना की तारीख को नियमित आधार पर पोषक पद धारण करने वाले व्यक्तियों के लिए पात्रता समान ही रहेगी।</p>
--	--	--

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
<p>प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</p> <ol style="list-style-type: none"> कार्मिक का प्रधान, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय - अध्यक्ष; संयुक्त निदेशक से अनिम्न पंक्ति का एक अधिकारी, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय - सदस्य; इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से भिन्न भारत सरकार के मंत्रालय या विभाग या संगठन के उप सचिव से अनिम्न पंक्ति का एक अधिकारी - सदस्य। 	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. निजी सचिव।	*27 (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह "ख", राजपत्रित, अनुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स 47600-151100रु. में स्तर-8	चयन।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	(i) पचास प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा; और (ii) पचास प्रतिशत सीमित विभागीय प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा के माध्यम से।	प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स (44900-142400 रु.) में स्तर-7 में वैयक्तिक सहायक जिन्होंने उस ग्रेड में छह वर्ष की अनुमोदित सेवा की हो जिसमें कम से कम पांच वर्ष की नियमित और निरंतर सेवा शामिल होनी चाहिए। टिप्पण 1: भर्ती के वर्ष के पहले दिन ग्रेड में पदावास (रेज़िडेंसी) अवधि के रूप में की गयी अनुमोदित सेवा की गणना प्रोन्नति के लिए की जाएगी। भर्ती की विभिन्न पद्धतियों के लिए 'अनुमोदित सेवा' पद निम्नानुसार होगी: (i) उस ग्रेड में विभागीय परीक्षा के माध्यम से भर्ती किए गए किसी अधिकारी के बारे में, उस ग्रेड में की गयी नियमित सेवा की अवधि या अवधियां, जिसमें/जिनमें अनुपस्थिति की अवधि अथवा अवधियां शामिल हैं जिसके/जिनके दौरान उसने उस ग्रेड में नियमित आधार पर कोई पद धारित किया होता, किंतु उसके छुट्टी पर होने अथवा ऐसा पद धारित करने के लिए अन्यथा उपलब्ध न होने के नाते उस वर्ष, जिसकी रिक्तियों के लिए ऐसी परीक्षा आयोजित की गयी थी, भर्ती के वर्ष के पहले दिन से; (ii) निम्नतर ग्रेड में सेवा की अवधि के आधार पर उस ग्रेड में भर्ती किए गए किसी अधिकारी के बारे में, उस ग्रेड में की गयी नियमित सेवा की अवधि या अवधियां, जिसमें/जिनमें अनुपस्थिति की अवधि अथवा अवधियां शामिल हैं जिसके/जिनके दौरान उसने उस ग्रेड में नियमित आधार पर कोई पद धारित किया होता, किंतु उसके छुट्टी पर होने अथवा ऐसा पद धारित करने के लिए अन्यथा उपलब्ध न होने के नाते उस वर्ष, जिसके लिए भर्ती की

			<p>गयी थी, भर्ती के वर्ष के पहले दिन से:</p> <p>परन्तु उपर्युक्त उपखंड (i) और (ii) में उल्लिखित किसी भी मामले में जहां नियुक्ति पर कार्यग्रहण करने में नब्बे दिन से अधिक का विलम्ब होता है, तो ऐसा विलम्ब अधिकारी की ओर से किसी भी चूक के कारण नहीं होना चाहिए।</p> <p>टिप्पण 2: जहां ऐसे कनिष्ठ अधिकारियों, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, वहां उनके वरिष्ठ अधिकारियों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो, और अपने कनिष्ठ अधिकारियों, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के लिए परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>सीमित विभागीय प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा:</p> <p>इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में वेतन मैट्रिक्स (44900-142400 रु.) में स्तर-7 में वैयक्तिक सहायक जिन्होंने कम से कम पांच वर्ष की अनुमोदित सेवा की है, जिसमें वेतन मैट्रिक्स के उस स्तर में कम से कम चार वर्ष की नियमित और निरंतर सेवा शामिल होनी चाहिए और जिसने अपने परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण की हो और उनके पास निर्धारित तारीख को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समतुल्य डिग्री हो, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में निजी सचिव, सीमित विभागीय प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा, नियम, 2018 के प्रावधानों के अनुसार आयोजित की जाने वाली सीमित विभागीय प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा में भाग लेने के लिए पात्र होगा।</p> <p>पुनरीक्षित नियमों की अधिसूचना की तारीख को नियमित आधार पर पोषक पद धारण करने वाले व्यक्तियों के लिए पात्रता समान ही रहेगी।</p>
--	--	--	---

(12)	(13)
<p>प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</p> <p>1. कार्मिक का प्रधान, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय - अध्यक्ष;</p> <p>2. संयुक्त निदेशक से अनिम्न पंक्ति का एक अधिकारी, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय - सदस्य;</p> <p>3. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से भिन्न भारत सरकार के मंत्रालय या विभाग या संगठन के उप सचिव से अनिम्न पंक्ति का एक अधिकारी - सदस्य।</p>	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. सहायक सतर्कता अधिकारी।	*01 (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स 44900-142400 रु. में स्तर-7	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	(i) प्रतिनियुक्ति; और (ii) सशस्त्र बल के कार्मिकों के लिए: प्रतिनियुक्ति/ पुनःनियोजन।	<p>प्रतिनियुक्ति:</p> <p>केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों या स्वायत्त निकायों से ऐसे अधिकारी जिन्होंने -</p> <p>(i) विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; अथवा</p> <p>(ii) इस ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा के साथ वेतन मैट्रिक्स (35400-112400 रु.) स्तर-6 में सतर्कता सहायक; अथवा</p> <p>(iii) वेतन मैट्रिक्स (44900-142400 रु.) स्तर-7 में सहायक अनुभाग अधिकारी जिनकी शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव निम्नानुसार हैं:</p> <p>आवश्यक:</p> <p>(i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री; और</p> <p>(ii) सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंधन संस्थान द्वारा संचालित प्रशासनिक सतर्कता का प्रशिक्षण पूरा किया हो तथा सतर्कता एवं अनुशासनिक मामलों में तीन वर्ष का अनुभव हो।</p>

			<p>बांछनीय: कंप्यूटर पर कार्य करने का अनुभव।</p> <p>टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>सशस्त्र बल के कार्मिकों के लिए प्रतिनियुक्ति/पुनःनियोजन:</p> <p>सशस्त्र बलों के ऐसे कार्मिकों जो सेवानिवृत्त होने वाले हैं या जिनका एक वर्ष की अवधि के भीतर आरक्षित के रूप में स्थानांतरण किया जाना है और जिन्हें अपेक्षित अनुभव और विहित शैक्षणिक अर्हता प्राप्त है के विषय में भी विचार किया जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति पर रखा जाएगा जिस तारीख से वे सशस्त्र बलों से सेवा निवृत्त होकर कार्यमुक्त होने वाले हैं। इसके बाद उनकी सेवाओं को पुनर्नियोजन पर जारी रखा जाएगा।</p>
--	--	--	---

(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
भंडार अधिकारी।	*02 (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह, 'ख', राजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स 44900-142400 रु. में स्तर-7	चयन।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	<p>(i) प्रतिनियुक्ति/आमेसन या प्रौन्नति; और</p> <p>(ii) सशख बल के कार्मिकों के लिए: प्रतिनियुक्ति/ पुनःनियोजन।</p>	<p>प्रतिनियुक्ति:</p> <p>केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों या स्वायत्त निकायों से ऐसे अधिकारी जिन्होंने -</p> <p>(क) (i) विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; अथवा</p> <p>(ii) ऐसे भंडार सहायक जिन्होंने इस ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा के साथ वेतन मैट्रिक्स (35400-112400 रु.) स्तर-6 में भंडार सहायक की नियमित सेवा की है; अथवा मूल काडर/विभाग में समतुल्य पद पर अथवा केन्द्रीय सरकार के अधिकारी हैं; और</p> <p>(ख) जिनके पास भंडारों को संभालने, लेखाओं और भंडार बहियों के रख-रखाव में तीन वर्ष का अनुभव है।</p> <p>वांछनीय: कंप्यूटर पर कार्य करने का अनुभव।</p> <p>टिप्पण 1: ऐसे विभागीय भंडार सहायक जिन्होंने इस ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा के साथ वेतन मैट्रिक्स (35400-112400 रु.) स्तर-6 में भंडार सहायक की नियमित सेवा की है के विषय में प्रतिनियुक्त व्यक्तियों के साथ विचार किया जाएगा। यदि उनकी नियुक्ति के लिए चयन हो जाता है तो पद प्रौन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा।</p> <p>टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>सशख बल के कार्मिकों के लिए प्रतिनियुक्ति/पुनःनियोजन:</p> <p>सशख बलों के ऐसे कार्मिकों जो सेवानिवृत्त होने वाले हैं या जिनका एक वर्ष की अवधि के भीतर आरक्षित के रूप में स्थानांतरण किया जाना है और जिन्हें अपेक्षित अनुभव और विहित शैक्षणिक आहर्ता प्राप्त है</p>

				के विषय में भी विचार किया जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति पर रखा जाएगा जिस तारीख से वे सशस्त्र बलों से सेवा निवृत्त होकर कार्यमुक्त होने वाले हैं। इसके बाद उनकी सेवाओं को पुनर्नियोजन पर जारी रखा जाएगा।
--	--	--	--	--

(12)	(13)
<p>प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</p> <p>1. कार्मिक का प्रधान, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय - अध्यक्ष;</p> <p>2. संयुक्त निदेशक से अनिम्न पंक्ति का एक अधिकारी, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय - सदस्य;</p> <p>3. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से भिन्न भारत सरकार के मंत्रालय या विभाग या संगठन के उप सचिव से अनिम्न पंक्ति का एक अधिकारी - सदस्य।</p>	लागू नहीं होता।

1	2	3	4	5	6
5. सहायक इंजीनियर (इलेक्ट्रीकल)।	*01 (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह, 'ख', राजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स 44900-142400 रु. में स्तर-7	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

7	8	9	10	11
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति/आमेलन; और सशस्त्र बल के कार्मिकों के लिए: प्रतिनियुक्ति/पुनः नियोजन।	<p>प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों या स्वायत्त निकायों से ऐसे अधिकारी-</p> <p>(क) (i) जो नियमित आधार पर मूल काडर/विभाग में सदृश पद धारण किए हुए हैं ; अथवा</p> <p>(ii) वेतन मैट्रिक्स (35400-112400 रु.) स्तर-6 में कनिष्ठ इंजीनियर (इलेक्ट्रीकल) जिनकी ग्रेड में अथवा मूल काडर/विभाग में पांच वर्ष या समतुल्य पद पर नियमित सेवा हो; और</p> <p>(ख) निम्नलिखित अर्हताएं और अनुभव रखते हैं:</p> <p>आवश्यक: उप-स्थल उपस्करी बिजली उत्पादन सेटों, टेलीफोन, एक्सचेंज, बिना रूकावट के बिजली आपूर्ति प्रणाली, वातानुकूलक आदि के विनिर्माण</p>

				<p>तथा अनुरक्षण सहित डिजाइन तैयार करना, अनुमानित खर्च तैयार करना संविदा प्रेषण आने में तीन साल के अनुभव के साथ विद्युत इंजीनियरी में डिप्लोमा।</p> <p>वांछनीय: मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विद्युत इंजीनियरी में डिग्री।</p> <p>टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य बाह्य काडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 3: यदि मंत्रालय में प्रतिनियुक्ति के आधार पर चयनित कनिष्ठ इंजीनियर (इलेक्ट्रीकल) को आमेलित करने पर विचार किया जाता है तो यह अनिवार्य होगा कि आमेलन की तारीख से पहले उसकी ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा की अवधि पूर्ण हो।</p> <p>सशस्त्र बल के कार्मिकों के लिए प्रतिनियुक्ति/पुनः नियोजन:</p> <p>सशस्त्र बलों के ऐसे कार्मिकों जो सेवानिवृत्त होने वाले हैं या जिनका एक वर्ष की अवधि के भीतर आरक्षित के रूप में स्थानांतरण किया जाना है और जिन्हें अपेक्षित अनुभव और विहित शैक्षणिक आहर्ता प्राप्त है के विषय में भी विचार किया जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति पर रखा जाएगा जिस तारीख से वे सशस्त्र बलों से सेवा निवृत्त होकर कार्यमुक्त होने वाले हैं। इसके बाद उनकी सेवाओं को पुनर्नियोजन पर जारी रखा जाएगा।</p>
--	--	--	--	--

12	13
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

1	2	3	4	5	6
6. अनुभाग अधिकारी (अग्नि)।	*01 (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह, 'ख', राजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स 44900-142400 रु. में स्तर-7	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

7	8	9	10	11
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति/आमेलन; और सशस्त्र बल के कार्मिकों के लिए: प्रतिनियुक्ति/पुनः नियोजन।	<p>प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों या स्वायत्त निकायों से ऐसे अधिकारी –</p> <p>(क) (i) जो नियमित आधार पर मूल काडर/विभाग में सदृश पद धारण किए हुए हैं; अथवा</p> <p>(ii) वेतन मैट्रिक्स (44900-142400 रु.) में स्तर-7 में सहायक अनुभाग अधिकारी जिनकी उस ग्रेड में अथवा मूल काडर/विभाग में तीन वर्ष या समतुल्य पद पर नियमित सेवा हो; और</p> <p>(ख) निम्नलिखित अहर्ताएं और अनुभव रखते हैं:</p> <p>आवश्यक: दिल्ली अग्नि सेवा या केन्द्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट समतुल्य कोई अग्नि शमन कौशल प्रशिक्षण प्राप्त किया हो।</p> <p>वांछनीय: मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से डिग्री।</p> <p>टिप्पण 1. प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य बाह्य काडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 2. प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होंगी।</p> <p>सशस्त्र बल के कार्मिकों के लिए प्रतिनियुक्ति/पुनःनियोजन: सशस्त्र बलों के ऐसे कार्मिकों जो सेवानिवृत्त होने वाले हैं या जिनका एक वर्ष की अवधि के भीतर आरक्षित के रूप में स्थानांतरण किया जाना है और जिन्हें अपेक्षित अनुभव और विहित शैक्षणिक अहर्ता प्राप्त है के विषय में भी विचार किया जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को उस</p>

				तारीख तक प्रतिनियुक्ति पर रखा जाएगा जिस तारीख से वे सशस्त्र बलों से सेवा निवृत्त होकर कार्यमुक्त होने वाले हैं। इसके बाद उनकी सेवाओं को पुनर्नियोजन पर जारी रखा जाएगा।
--	--	--	--	--

12	13
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

1	2	3	4	5	6
7. सहायक अनुभाग अधिकारी।	*75 (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह, 'ख', अराजपत्रित, अनुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स 44900-142400 रु. में स्तर-7	चयन।	30 वर्ष। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसरण में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के मामले में 45 वर्ष और साधारण अभ्यर्थियों के मामले में 40 वर्ष तक सरकारी सेवाकों के लिए शिथिलनीय)। टिप्पण: आयु सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख भारत में उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी (और असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य का लद्दाख संभाग, हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिले का पांगी उपसंभाग और लाहौल और स्पीति जिले के लिए निर्धारित अंतिम तिथि नहीं)।

7	8	9	10	11
आवश्यक: मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री। वांछनीय: कम्प्यूटर प्रचालन संबंधी ज्ञान।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष।	(i) चालीस प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा; (ii) दस प्रतिशत सीमित विभागीय प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा के माध्यम से; और (iii) पचास प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स (25500-81100 रु.) में स्तर-4 में वरिष्ठ सचिवालय सहायक जिन्होंने उस ग्रेड में दस वर्ष की अनुमोदित सेवा की हो जिसमें कम से कम आठ वर्ष की नियमित और निरंतर सेवा शामिल होनी चाहिए।

			<p>टिप्पण 1: भर्ती के वर्ष के पहले दिन ग्रेड में पदावास (रेज़ीडेंसी) अवधि के रूप में की गयी अनुमोदित सेवा की गणना प्रोन्नति के लिए की जाएगी। भर्ती की विभिन्न पद्धतियों के लिए 'अनुमोदित सेवा' के पद निम्नानुसार होंगे. -</p> <p>(i) उस ग्रेड में विभागीय परीक्षा के माध्यम से भर्ती किए गए किसी अधिकारी के बारे में, उस ग्रेड में की गयी नियमित सेवा की अवधि या अवधियां, जिसमें/जिनमें अनुपस्थिति की अवधि अथवा अवधियां शामिल हैं जिसके/जिनके दौरान उसने उस ग्रेड में नियमित आधार पर कोई पद धारित किया होता, किन्तु उसके छुट्टी पर होने अथवा ऐसा पद धारित करने के लिए अन्यथा उपलब्ध न होने के नाते उस वर्ष, जिसकी रिक्तियों के लिए ऐसी परीक्षा आयोजित की गयी थी, भर्ती के वर्ष के पहले दिन से;</p> <p>(ii) निम्नतर ग्रेड में सेवा की अवधि के आधार पर उस ग्रेड में भर्ती किए गए किसी अधिकारी के बारे में, उस ग्रेड में की गयी नियमित सेवा की अवधि या अवधियां, जिसमें/जिनमें अनुपस्थिति की अवधि अथवा अवधियां शामिल हैं जिसके/जिनके दौरान उसने उस ग्रेड में नियमित आधार पर कोई पद धारित किया होता, परन्तु उसके छुट्टी पर होने अथवा ऐसा पद धारित करने के लिए अन्यथा उपलब्ध न होने के नाते उस वर्ष, जिसके लिए भर्ती की गयी थी, भर्ती के वर्ष के पहले दिन से:</p> <p>(iii) उस ग्रेड में सीधी भर्ती से चयनित किसी अधिकारी के बारे में, उस ग्रेड में की गयी नियमित सेवा की अवधि या अवधियां, जिसमें/जिनमें अनुपस्थिति की अवधि अथवा अवधियां शामिल हैं जिसके/जिनके दौरान उसने उस ग्रेड में नियमित आधार पर कोई पद धारित किया होता, किन्तु उसके छुट्टी पर होने अथवा ऐसा पद धारित करने के लिए अन्यथा</p>
--	--	--	---

			<p>उपलब्ध न होने के नाते उस वर्ष, जिसमें सीधी भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की गयी थी, से आगामी भर्ती के वर्ष के पहले दिन से;</p> <p>परन्तु उपर्युक्त उपखंड (i), (ii) और (iii) में उल्लिखित किसी भी मामले में जहां नियुक्ति पर कार्यग्रहण करने में नब्बे दिन से अधिक का विलम्ब होता है, तो ऐसा विलम्ब अधिकारी की ओर से किसी भी चूक के कारण नहीं होना चाहिए।</p> <p>टिप्पण 2: जहां ऐसे कनिष्ठ अधिकारियों, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, वहां उनके वरिष्ठ अधिकारियों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो, और अपने कनिष्ठ अधिकारियों, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के लिए परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>सीमित विभागीय प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा:</p> <p>इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में वेतन मैट्रिक्स (25500-81100 रु.) में स्तर-4 में वरिष्ठ सचिवालय सहायक और आशुलिपिक जिन्होंने कम से कम पांच वर्ष की अनुमोदित सेवा की है जिसमें वेतन मैट्रिक्स के उस स्तर में निर्धारित तारीख को कम से कम चार वर्ष नियमित और निरंतर सेवा शामिल होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में सहायक अनुभाग अधिकारी सीमित विभागीय प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा,</p>
--	--	--	--

			<p>नियम, 2018 के प्रावधानों के अनुसार आयोजित की जाने वाली सीमित विभागीय प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा में भाग लेने के लिए पात्र होगा।</p> <p>पुनरीक्षित नियमों की अधिसूचना की तारीख को सीमित विभागीय प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा के लिए पात्रता सेवा नियमित आधार पर पोषक पद धारण करने वाले व्यक्तियों के लिए तीन वर्ष जारी रहेगी।</p>
--	--	--	---

12	13
<p>पुष्टि या प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'ख' विभागीय पुष्टि या प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</p> <p>1. कार्मिक का प्रधान, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय - अध्यक्ष;</p> <p>2. संयुक्त निदेशक से अनिम्न पंक्ति का एक अधिकारी, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय - सदस्य;</p> <p>3. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से भिन्न भारत सरकार के मंत्रालय या विभाग या संगठन के उप सचिव से अनिम्न पंक्ति का एक अधिकारी - सदस्य।</p>	लागू नहीं होता।

1	2	3	4	5	6
8. वैयक्तिक सहायक।	*50 (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह, 'ख', अराजपत्रित, अनुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स 44900-142400 रु. में स्तर-7	चयन।	लागू नहीं होता।

7	8	9	10	11
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष।	(i) पञ्चहत्तर प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा; और (ii) पच्चीस प्रतिशत सीमित विभागीय प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा के माध्यम से।	<p>प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स (25500-81100 रु.) में स्तर-4 में आशुलिपिक जिन्होंने उस ग्रेड में दस वर्ष की अनुमोदित सेवा की हो जिसमें कम से कम आठ वर्ष की नियमित और निरंतर सेवा शामिल होनी चाहिए।</p> <p>टिप्पण 1: भर्ती के वर्ष के पहले दिन ग्रेड में</p>

				<p>पदावास (रेज़ीडेंसी) अवधि के रूप में की गयी अनुमोदित सेवा की गणना प्रोन्नति के लिए की जाएगी। भर्ती की विभिन्न पद्धतियों के लिए 'अनुमोदित सेवा' के पद निम्नानुसार होंगे:</p> <p>(i) उस ग्रेड में सीधी भर्ती से चयनित किसी अधिकारी के सदर्थ में, उस ग्रेड में की गयी नियमित सेवा की अवधि या अवधियां, जिसमें/जिनमें अनुपस्थिति की अवधि अथवा अवधियां शामिल हैं जिसके/जिनके दौरान उसने उस ग्रेड में नियमित आधार पर कोई पद धारित किया होता, परन्तु उसके छुट्टी पर होने अथवा ऐसा पद धारित करने के लिए अन्यथा उपलब्ध न होने के नाते उस वर्ष, जिसमें सीधी भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की गयी थी, से आगामी भर्ती के वर्ष के पहले दिन से;</p> <p>(ii) उस ग्रेड में विभागीय परीक्षा के माध्यम से भर्ती किए गए किसी अधिकारी के बारे में, उस ग्रेड में की गयी नियमित सेवा की अवधि या अवधियां, जिसमें/जिनमें अनुपस्थिति की अवधि अथवा अवधियां शामिल हैं जिसके/जिनके दौरान उसने उस ग्रेड में नियमित आधार पर कोई पद धारित किया होता, परन्तु उसके छुट्टी पर होने अथवा ऐसा पद धारित करने के लिए अन्यथा उपलब्ध न होने के नाते उस वर्ष, जिसकी रिक्तियों के लिए ऐसी परीक्षा आयोजित की गयी थी, भर्ती के वर्ष के पहले दिन से;</p> <p>(iii) निम्नतर ग्रेड में सेवा की अवधि के आधार पर उस ग्रेड में भर्ती किए गए किसी अधिकारी के बारे में, उस ग्रेड में की गयी नियमित सेवा की अवधि या अवधियां, जिसमें/जिनमें अनुपस्थिति की अवधि अथवा अवधियां शामिल हैं जिसके/जिनके दौरान उसने उस ग्रेड में नियमित आधार पर कोई पद धारित किया होता, परन्तु उसके छुट्टी पर होने अथवा ऐसा पद धारित करने के लिए अन्यथा उपलब्ध न होने के नाते उस वर्ष, जिसके लिए भर्ती की गयी थी, भर्ती के वर्ष के पहले दिन से:</p> <p>परन्तु उपर्युक्त उपखंड (i), (ii) और (iii) में उल्लिखित किसी भी मामले में जहां नियुक्ति पर कार्यग्रहण करने में नब्बे दिन से अधिक का विलम्ब होता है, तो ऐसा विलम्ब अधिकारी की ओर से किसी भी चूक के कारण नहीं होना चाहिए।</p>
--	--	--	--	--

				<p>टिप्पण 2: जहां ऐसे कनिष्ठ अधिकारियों, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, वहां उनके वरिष्ठ अधिकारियों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो, और अपने कनिष्ठ अधिकारियों, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के लिए परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>सीमित विभागीय प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा:</p> <p>इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में वेतन मैट्रिक्स (25500-81100 रु.) में स्तर-4 में आशुलिपिक, जिन्होंने कम से कम पांच वर्ष की अनुमोदित सेवा की है जिसमें वेतन मैट्रिक्स के उस स्तर में निर्धारित तारीख को कम से कम चार वर्ष नियमित और निरंतर सेवा शामिल होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में वैयक्तिक सहायक सीमित विभागीय प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा, नियम, 2018 के प्रावधानों के अनुसार आयोजित की जाने वाली सीमित विभागीय प्रतिस्पर्धी परीक्षा में भाग लेने के लिए पात्र होगा। पुनरीक्षित नियमों की अधिसूचना की तारीख को सीमित विभागीय प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा के लिए पात्रता सेवा नियमित आधार पर पोषक पद धारण करने वाले व्यक्तियों के लिए तीन वर्ष जारी रहेगी।</p>
--	--	--	--	---

12	13
<p>प्रोन्नति या पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति या पुष्टि समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. कार्मिक का प्रधान, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय - अध्यक्ष; 2. संयुक्त निदेशक से अनिम्न पंक्ति का एक अधिकारी, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय - सदस्य; 3. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से भिन्न भारत सरकार के मंत्रालय या विभाग या संगठन के उप सचिव से अनिम्न पंक्ति का एक अधिकारी - सदस्य। 	<p>लागू नहीं होता।</p>

1	2	3	4	5	6
9. सहायक इंजिनियर (सिविल)	*01 (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह, 'ख', राजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स 44900-142400 रु. में स्तर-7	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

7	8	9	10	11
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	(i) प्रतिनियुक्ति/आमेलन; और (ii) सशस्त्र बल के कार्मिकों के लिए: प्रतिनियुक्ति/ पुनःनियोजन।	<p>प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों या स्वायत्त निकायों से ऐसे अधिकारी- (i) जो नियमित आधार पर मूल काडर अथवा विभाग में सदृश पद धारण किए हुए हैं; अथवा (ii) वेतन मैट्रिक्स (35400-112400 रु.) स्तर-6 में या मूल काडर या विभाग में समतुल्य पद पर पांच वर्ष का अनुभव; और (ख) निम्नलिखित अहर्ताएं और अनुभव रखते हों:</p> <p>आवश्यक: सिविल इंजीनियरिंग या समतुल्य में डिग्री या डिप्लोमा और डिज़ाइनिंग संबंधी अनुमान, संविदाएं, निगरानी इत्यादि सहित आवासीय और गैर आवासीय भवनों के निर्माण और रख-रखाव में अनुभव।</p> <p>वांछनीय: मान्यता प्राप्त संगठनों से वातानुकूलन प्रणाली, लिफ्टों की आंतरिक साज-सज्जा, वास्तुशिल्प और इलेक्ट्रीकल इंस्टॉलेशन के रख-रखाव और अद्यतनकरण में अनुभव।</p> <p>टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य बाह्य काडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>

			<p>सशस्त्र बल के कार्मिकों के लिए प्रतिनियुक्ति/पुनःनियोजन:</p> <p>सशस्त्र बलों के ऐसे कार्मिकों जो सेवानिवृत्त होने वाले हैं या जिनका एक वर्ष की अवधि के भीतर आरक्षित के रूप में स्थानांतरण किया जाना है और जिन्हें अपेक्षित अनुभव और विहित शैक्षणिक आहर्ता प्राप्त है के विषय में भी विचार किया जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति पर रखा जाएगा जिस तारीख से वे सशस्त्र बलों से सेवा निवृत्त होकर कार्यमुक्त होने वाले हैं। इसके बाद उनकी सेवाओं को पुनर्नियोजन पर जारी रखा जाएगा।</p>
--	--	--	---

12	13
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

1	2	3	4	5	6
10. केयरटेकर।	*01 (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह, 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स 35400-112400 रु. में स्तर-6	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

7	8	9	10	11
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति/आमेलन; और सशस्त्र बल के कार्मिकों के लिए: प्रतिनियुक्ति/पुनःनियोजन।	<p>प्रतिनियुक्ति:</p> <p>केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों या स्वायत्त निकायों से ऐसे अधिकारी-</p> <p>(i) जो नियमित आधार पर मूल काडर/विभाग में सदृश पद धारण किए हुए हैं; अथवा</p> <p>(ii) वेतन मैट्रिक्स (29200-92300 रु.) स्तर-5 में या मूल काडर/विभाग में समतुल्य पद पर छह वर्ष का नियमित अनुभव और भवनों के रख-रखाव और अद्यतनीकरण में तीन वर्ष का अनुभव; अथवा</p> <p>(iii) वेतन मैट्रिक्स (25500-81100 रु.) स्तर-4 में या मूल काडर/विभाग में समतुल्य पद पर दस वर्ष का नियमित अनुभव और भवनों के रख-रखाव और अद्यतनीकरण में तीन वर्ष का अनुभव।</p>

				<p>टिप्पण 1. प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य बाह्य काडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 2. प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होंगी।</p> <p>सशस्त्र बल के कार्मिकों के लिए प्रतिनियुक्ति/पुनःनियोजन:</p> <p>सशस्त्र बलों के ऐसे कार्मिकों जो सेवानिवृत्त होने वाले हैं या जिनका एक वर्ष की अवधि के भीतर आरक्षित के रूप में स्थानांतरण किया जाना है और जिन्हें अपेक्षित अनुभव और विहित शैक्षणिक आहर्ता प्राप्त है के विषय में भी विचार किया जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति पर रखा जाएगा जिस तारीख से वे सशस्त्र बलों से सेवा निवृत्त होकर कार्यमुक्त होने वाले हैं। इसके बाद उनकी सेवाओं को पुनर्नियोजन पर जारी रखा जाएगा।</p>
--	--	--	--	---

12	13
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

1	2	3	4	5	6
11. सुरक्षा पर्यवेक्षक।	*02 (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह, 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स 35400-112400 रु. में स्तर-6	लागू नहीं होता।	30 वर्ष। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसरण में सरकारी सेवकों के लिए शिथिलनीय)। टिप्पण: आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी (और उसमें, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड,

					त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य का लद्दाख संभाग, हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिले का पांगी उपसंभाग और लाहौल और स्पीति जिले, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं।
--	--	--	--	--	--

7	8	9	10	11
<p>आवश्यक:</p> <p>(i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री।</p> <p>(ii) सरकार या मान्यता प्राप्त संगठनों में सुरक्षा पर्यवेक्षक या अग्निशमन कार्य का 3 वर्ष का अनुभव।</p> <p>वांछनीय: सरकार या मान्यता प्राप्त संस्थानों से सुरक्षा अनुरक्षण या अग्निशमन उपस्करों में डिग्री या डिप्लोमा या प्रमाण पत्र।</p>	लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती के लिए दो वर्ष।	<p>(i) सीधेभर्ती/ प्रतिनियुक्ति/आमेलन; और</p> <p>(ii) सशस्त्र बल के कार्मिकों के लिए: प्रतिनियुक्ति/पुनः नियोजन।</p>	<p>प्रतिनियुक्ति:</p> <p>केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों या स्वायत्त निकायों से ऐसे अधिकारी-</p> <p>(i) जो नियमित आधार पर मूल काडर/विभाग में सदृश पद धारण किए हुए हैं; अथवा</p> <p>(ii) वेतन मैट्रिक्स (29200-92300 रु.) स्तर-5 में या मूल काडर/विभाग में समतुल्य पद पर छह वर्ष का नियमित अनुभव और सुरक्षा और अग्निशमन कार्य में तीन वर्ष का अनुभव; अथवा</p> <p>(iii) वेतन मैट्रिक्स (25500-81100 रु.) लेवल-4 में या मूल काडर/विभाग में समतुल्य पद पर दस वर्ष का नियमित अनुभव और सुरक्षा और अग्निशमन कार्य में तीन वर्ष का अनुभव।</p> <p>टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य बाह्य काडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>

			<p>टिप्पण 3: यदि प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किए गए अभ्यर्थी को आमेलित करने पर विचार किया जाता है तो आमेलन की तारीख को स्तर-5 में उनकी छह वर्ष की नियमित सेवा या स्तर-4 में दस वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण होनी चाहिए।</p> <p>सशस्त्र बल के कार्मिकों के लिए प्रतिनियुक्ति/ पुनःनियोजन:</p> <p>सशस्त्र बलों के ऐसे कार्मिकों जो सेवानिवृत्त होने वाले हैं या जिनका एक वर्ष की अवधि के भीतर आरक्षित के रूप में स्थानांतरण किया जाना है और जिन्हें अपेक्षित अनुभव और विहित शैक्षणिक आहर्ता प्राप्त है के विषय में भी विचार किया जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति पर रखा जाएगा जिस तारीख से वे सशस्त्र बलों से सेवा निवृत्त होकर कार्यमुक्त होने वाले हैं। इसके बाद उनकी सेवाओं को पुनर्नियोजन पर जारी रखा जाएगा।</p>
--	--	--	---

12	13
<p>पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</p> <ol style="list-style-type: none"> कार्मिक का प्रधान, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय - अध्यक्ष; संयुक्त निदेशक से अनिम्न पंक्ति का एक अधिकारी, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय - सदस्य; इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से भिन्न भारत सरकार के मंत्रालय या विभाग या संगठन के उप सचिव से अनिम्न पंक्ति का एक अधिकारी - सदस्य। 	लागू नहीं होता।

1	2	3	4	5	6
12. भंडार सहायक।	*01 (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह, 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स 35400-112400 रु. में स्तर-6	लागू नहीं होता।	30 वर्ष। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसरण में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के

					<p>मामले में 45 वर्ष और साधारण अभ्यर्थियों के मामले में 40 वर्ष तक सरकारी कर्मचारियों के लिए छूट प्राप्त।</p> <p>टिप्पण: आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख भारत में उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी (और असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य का लद्दाख संभाग, हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिले का पांगी उपसंभाग और लाहौल और स्पीति, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप जिले के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं)।</p>
--	--	--	--	--	---

7	8	9	10	11
<p>आवश्यक:</p> <p>(i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री; और</p> <p>(ii) भंडार का रख-रखाव करने और इलेक्ट्रीकल और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का लेखाओं रखने में मान्यता प्राप्त संगठनों से दो वर्ष का अनुभव।</p> <p>वांछनीय:</p> <p>(i) मान्यता प्राप्त संस्थान से भंडार और सामग्री प्रबंधन में डिप्लोमा या प्रमाणपत्र।</p> <p>(ii) कम्प्यूटर प्रचालन संबंधी ज्ञान।</p>	लागू नहीं होता।	दो वर्ष	सीधी भर्ती।	लागू नहीं होता।

12	13
<p>पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</p> <p>1. कार्मिक का प्रधान, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय - अध्यक्ष;</p> <p>2. संयुक्त निदेशक से अनिम्न पंक्ति का एक अधिकारी, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय - सदस्य;</p> <p>3. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से भिन्न भारत सरकार के मंत्रालय या विभाग या संगठन के उप सचिव से अनिम्न पंक्ति का एक अधिकारी - सदस्य।</p>	लागू नहीं होता।

1	2	3	4	5	6
13. सतर्कता सहायक।	*01 (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह, 'ख', अराजपत्रित, अनुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स 35400-112400 रु. में स्तर-6	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

7	8	9	10	11
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	(i) प्रतिनियुक्ति/आमेलन; और (ii) सशस्त्र बल के कार्मिकों के लिए: प्रतिनियुक्ति/पुनः नियोजन।	<p>प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय सरकार से ऐसे अधिकारी -</p> <p>(क) (i) जो नियमित आधार पर मूल काडर/विभाग में सदृश पद धारण किए हुए हैं; अथवा (ii) वेतन मैट्रिक्स (29200-92300 रु.) स्तर-5 में या मूल काडर/विभाग में समतुल्य पद पर नियुक्ति के पश्चात छह वर्ष का नियमित अनुभव; अथवा (iii) वेतन मैट्रिक्स (25500-81100 रु.) लेवल-4 में या मूल काडर/विभाग में समतुल्य पद पर नियमित आधार पर दस वर्ष की नियमित सेवा; और</p> <p>(ख) निम्नलिखित अनुभव रखते हों:</p> <p>आवश्यक: स्थापना, सतर्कता और अनुशासनात्मक मुद्दों संबंधी कार्य में तीन वर्ष का अनुभव प्राप्त हो तथा सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान द्वारा संचालित प्रशासनात्मक सतर्कता में प्रशिक्षण सफलतापूर्ण पूर्ण किया हो।</p> <p>वांछनीय: कम्प्यूटर प्रचालन संबंधी ज्ञान।</p> <p>टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य बाह्य काडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>सशस्त्र बल के कार्मिकों के लिए प्रतिनियुक्ति/पुनःनियोजन: सशस्त्र बलों के ऐसे कार्मिकों जो सेवानिवृत्त होने वाले हैं या जिनका एक वर्ष की अवधि के भीतर आरक्षित के रूप में स्थानांतरण किया जाना है</p>

			और जिन्हें अपेक्षित अनुभव और विहित शैक्षणिक आहर्ता प्राप्त है के विषय में भी विचार किया जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति पर रखा जाएगा जिस तारीख से वे सशस्त्र बलों से सेवा निवृत्त होकर कार्यमुक्त होने वाले हैं। इसके बाद उनकी सेवाओं को पुनर्नियोजन पर जारी रखा जाएगा।
--	--	--	--

12	13
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

1	2	3	4	5	6
14. प्रकाशन सहायक।	*01 (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह, 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स 35400-112400 रु. में स्तर-6	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

7	8	9	10	11
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	(i) प्रतिनियुक्ति/आमेलन; और (ii) सशस्त्र बल के कर्मियों के लिए: प्रतिनियुक्ति/पुनःनियोजन।	प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार से ऐसे अधिकारी – (क) (i) जो नियमित आधार पर मूल काडर/विभाग में सदृश पद धारण किए हुए हैं; अथवा (ii) वेतन मैट्रिक्स (29200-92300 रु.) स्तर-5 में छह वर्ष का नियमित अनुभव; अथवा (iii) वेतन मैट्रिक्स (25500-81100 रु.) स्तर-4 में दस वर्ष का नियमित अनुभव; और (ख) निम्नलिखित अहर्ताएं और अनुभव रखते हों: आवश्यक: मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से डिग्री; और प्रकाशन संबंधी कार्य संभालने में दो वर्ष का अनुभव। वांछनीय: (क) पत्रकारिता में डिग्री या डिप्लोमा। (ख) अंग्रेजी और हिन्दी दोनों भाषाओं में संपादन के क्षेत्र में अनुभव।

				<p>टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य बाह्य काडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होंगी।</p> <p>सशस्त्र बल के कार्मिकों के लिए प्रतिनियुक्ति/ पुनःनियोजन:</p> <p>सशस्त्र बलों के ऐसे कार्मिकों जो सेवानिवृत्त होने वाले हैं या जिनका एक वर्ष की अवधि के भीतर आरक्षित के रूप में स्थानांतरण किया जाना है और जिन्हें अपेक्षित अनुभव और विहित शैक्षणिक आहर्ता प्राप्त है के विषय में भी विचार किया जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति पर रखा जाएगा जिस तारीख से वे सशस्त्र बलों से सेवा निवृत्त होकर कार्यमुक्त होने वाले हैं। इसके बाद उनकी सेवाओं को पुनर्नियोजन पर जारी रखा जाएगा।</p>
--	--	--	--	--

12	13
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

1	2	3	4	5	6
15. परिवहन पर्यवेक्षक।	*01 (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह, 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स 35400-112400 रु. में स्तर-6	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

7	8	9	10	11
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	(i) प्रतिनियुक्ति/आमेलन; और (ii) सशस्त्र बल के कार्मिकों के लिए: प्रतिनियुक्ति/पुनःनियोजन।	<p>प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों या स्वायत्त निकायों से ऐसे अधिकारी –</p> <p>(i) जो नियमित आधार पर मूल काडर/विभाग में सदृश पद धारण किए हुए हैं; अथवा</p> <p>(ii) वेतन मैट्रिक्स (29200-92300 रु.) स्तर-5 में स्टाफ कार चालक (श्रेणी-1) जिन्होंने इस ग्रेड में छह वर्ष की नियमित सेवा दी हो।</p> <p>टिप्पण 1: वेतन मैट्रिक्स (35400-112400 रुपए) स्तर-6 में विभागीय स्टाफ कार चालक (विशेष ग्रेड) जिन्होंने इस ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा दी हो, के विषय में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति कर्मचारियों के साथ ही विचार किया जाएगा। यदि नियुक्ति के लिए इसका चयन किया जाता है तो यह पद प्रोन्नति द्वारा भरा माना जाएगा।</p> <p>टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य बाह्य काडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होंगी।</p> <p>सशस्त्र बल के कार्मिकों के लिए प्रतिनियुक्ति/पुनःनियोजन: सशस्त्र बलों के ऐसे कार्मिकों जो सेवानिवृत्त होने वाले हैं या जिनका एक वर्ष की अवधि के भीतर आरक्षित के रूप में स्थानांतरण किया जाना है और जिन्हें अपेक्षित अनुभव और विहित शैक्षणिक आहर्ता प्राप्त है के विषय में भी विचार किया जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति पर रखा जाएगा जिस तारीख से वे सशस्त्र बलों से सेवा निवृत्त होकर कार्यमुक्त होने वाले हैं। इसके बाद उनकी सेवाओं को पुनर्नियोजन पर जारी रखा जाएगा।</p>

12	13
<p>प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</p> <p>1. कार्मिक का प्रधान, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय - अध्यक्ष;</p> <p>2. संयुक्त निदेशक से अनिम्न पंक्ति का एक अधिकारी, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय - सदस्य;</p> <p>3. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से भिन्न भारत सरकार के मंत्रालय या विभाग या संगठन के उप सचिव से अनिम्न पंक्ति का एक अधिकारी - सदस्य।</p>	लागू नहीं होता।

1	2	3	4	5	6
16. कनिष्ठ इंजीनियर (सिविल)।	*01 (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह, 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स 35400-112400 रु. में स्तर-6	लागू नहीं होता।	30 वर्ष। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसरण में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/विकलांग/भूतपूर्व सैनिकों के लिए शिथिलनीय)। टिप्पण: आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी (और असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य का लद्दाख संभाग, हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिले का पांगी उपसंभाग और लाहौल और स्पीति, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप जिले के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं)।

7	8	9	10	11
केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा।	लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती के लिए दो वर्ष।	सीधे भर्ती/ प्रतिनियुक्ति/आमेलन; और सशस्त्र बल के कार्मिकों के लिए: प्रतिनियुक्ति/पुनःनियोजन।	प्रतिनियुक्ति: स्तंभ (7) में विनिर्दिष्ट अहर्ताओं के साथ सदृश्य पद धारण करने वाले केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों या स्वायत्त निकायों के अधिकारी।

			<p>टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य बाह्य काडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>सशस्त्र बल के कार्मिकों के लिए प्रतिनियुक्ति/पुनःनियोजन:</p> <p>सशस्त्र बलों के ऐसे कार्मिकों जो सेवानिवृत्त होने वाले हैं या जिनका एक वर्ष की अवधि के भीतर आरक्षित के रूप में स्थानांतरण किया जाना है और जिन्हें अपेक्षित अनुभव और विहित शैक्षणिक आहर्ता प्राप्त है के विषय में भी विचार किया जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति पर रखा जाएगा जिस तारीख से वे सशस्त्र बलों से सेवा निवृत्त होकर कार्यमुक्त होने वाले हैं। इसके बाद उनकी सेवाओं को पुनर्नियोजन पर जारी रखा जाएगा।</p>
--	--	--	--

12	13
<p>पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</p> <ol style="list-style-type: none"> कार्मिक का प्रधान, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय - अध्यक्ष; संयुक्त निदेशक से अनिम्न पंक्ति का एक अधिकारी, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय - सदस्य; इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से भिन्न भारत सरकार के मंत्रालय या विभाग या संगठन के उप सचिव से अनिम्न पंक्ति पंक्ति का एक अधिकारी - सदस्य। 	<p>लागू नहीं होता।</p>

[फा. संख्या 1(4)/2017-कार्मिक-III]

राजीव कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th November, 2018

G.S.R. 1210(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Communications and Information Technology, Department of Information Technology (Group 'B' posts) Recruitment Rules, 2009, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'B' posts in the Ministry of Electronics and Information Technology, namely:-

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Electronics and Information Technology, Group 'B' Posts, Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and level in pay matrix.**—The number of posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age-limit and other qualifications, etc.**—The method of recruitment to the said posts, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. **Disqualification.**—No person -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for persons belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Section Officer.	*31 (2018) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Ministerial.	Level-8 in the pay matrix Rs. 47600-151100.	Selection.

Age limit for direct recruitment.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by methods.
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	(i) Fifty per-cent. by promotion; and (ii) fifty per-cent. through Limited Departmental Competitive Examination.

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption is to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
<p>Promotion:</p> <p>Assistant Section Officer in level-7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400) who have rendered six years approved service which should include at least five years regular and continuous service in the grade.</p> <p>Note 1: The approved service rendered in the grade, on the 1st day of the Recruitment Year, as the residency period will be counted for promotion. The expression “Approved Service” for the various modes of recruitment, shall be as under,-</p> <p>(i) in respect of an officer recruited directly to that grade, period or periods of regular service rendered in that grade, including period or periods of absence during which he would have held a post on regular basis in that grade but for his being on leave or otherwise not being available to hold such post, from the first day of the recruitment year, following the year in which the examination for direct recruitment was held;</p>	<p>Group ‘B’ Departmental Promotion Committee, for considering promotion, consisting of : -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Head of Personnel, Ministry of Electronics and Information Technology - Chairman; 2. One Officer not less than the rank of Joint Director, Ministry of Electronics and Information Technology - Member; 3. One officer not less than the rank of Deputy Secretary to the Government of India from a Ministry or Department or Organisation other than the Ministry of Electronics and Information Technology - Member. 	Not applicable

<p>(ii) in respect of an officer recruited to that grade through departmental examination, period or periods of regular service rendered in that grade, including period or periods of absence during which he would have held a post on regular basis in that grade but for his being on leave or otherwise not being available to hold such post, from the first day of the recruitment year for vacancies of which such examination was held;</p> <p>(iii) in respect of an officer recruited to that grade on the basis of length of service in the lower grade, period or periods of regular service rendered in that grade, including period or periods of absence during which he would have held a post on regular basis in that grade but for his being on leave or otherwise not being available to hold such post, from the first day of the recruitment year for which the recruitment was made:</p> <p>Provided that where there is delay of more than Ninety days in joining on appointment, in any of the cases mentioned in the sub-clauses (i), (ii) and (iii) above, such delay should not be due to any fault on the part of the officer.</p> <p>Note 2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered, provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p>		
---	--	--

<p>Limited Departmental Competitive Examination:</p> <p>Assistant Section Officer and Personal Assistant in level-7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400) in the Ministry of Electronics and Information Technology who have rendered not less than five years approved service which should include at least four years regular and continuous service in that level in the pay matrix and Security Supervisor in level-6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400) in the Ministry of Electronics and Information Technology who has rendered not less than seven years approved service which should include at least six years regular and continuous service in that level in the pay matrix. Assistant Section Officer, Personal Assistant and Security Supervisor have successfully completed probation period and possessing a Bachelor's Degree from a recognized university or equivalent on the crucial date shall be eligible to appear in the Limited Departmental Competitive Examination to be conducted in accordance with the provisions of Section Officer Limited Departmental Competitive Examination, Rules, 2018 in the Ministry of Electronics and Information Technology.</p> <p>The eligibility shall continue to be the same for persons holding the feeder posts on regular basis on the date of notification of the revised rules.</p>		
---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Private Secretary.	*27 (2018) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Ministerial.	Level-8 in the pay matrix Rs. 47600-151100.	Selection.

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	(i) Fifty per-cent. By promotion; and

				(ii) fifty per-cent. through Limited Departmental Competitive Examination.
--	--	--	--	--

(11)	(12)	(13)
<p>Promotion: Personal Assistant in Level-7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400) who have rendered six years approved service which should include at least five years regular and continuous service in the grade.</p> <p>Note 1: The approved service rendered in the grade, on the 1st day of the Recruitment Year, as the residency period will be counted for promotion. The expression "Approved Service" for the various modes of recruitment, shall be as under,-</p> <p>(i) in respect of an officer recruited to that grade through departmental examination, period or periods of regular service rendered in that grade, including period or periods of absence during which he would have held a post on regular basis in that grade but for his being on leave or otherwise not being available to hold such post, from the first day of the recruitment year for vacancies of which such examination was held;</p> <p>(ii) in respect of an officer recruited to that grade on the basis of length of service in the lower grade, period or periods of regular service rendered in that grade, including period or periods of absence during which he would have held a post on regular basis in that grade but for his being on leave or otherwise not being available to hold such post, from the first day of the recruitment year for which the recruitment was made:</p> <p>Provided that where there is delay of more than Ninety days in joining on appointment, in any of the cases mentioned in the sub-clauses (i), and (ii) above, such delay should not be due to any fault on the part of the officer.</p> <p>Note 2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their</p>	<p>Group 'B' Departmental Promotion Committee, for considering promotion, consisting of:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Head of Personnel, Ministry of Electronics and Information Technology - Chairman; 2. One Officer not less than the rank of Joint Director, Ministry of Electronics and Information Technology - Member; 3. One officer not less than the rank of Deputy Secretary to the Government of India from a Ministry or Department or Organisation other than the Ministry of Electronics and Information Technology - Member. 	Not applicable.

seniors would also be considered, provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Limited Departmental Competitive Examination:

Personal Assistant in level-7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400) in the Ministry of Electronics and Information Technology who have rendered not less than five years approved service which should include at least four years regular and continuous service in that level in the pay matrix and have successfully completed probation period and possessing a Bachelor's Degree from a recognized university or equivalent on the crucial date shall be eligible to appear in the Limited Departmental Competitive Examination to be conducted in accordance with the provisions of Private Secretary Limited Departmental Competitive Examination, Rules, 2018 in the Ministry of Electronics and Information Technology.

The eligibility shall continue to be the same for persons holding the feeder posts on regular basis on the date of notification of the revised rules.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. Assistant Vigilance Officer.	*01 (2018) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Gazetted, non-Ministerial.	Level-7 in the pay matrix Rs. 44900-142400.	Not applicable.

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	(i) Deputation; and (ii) for Armed Forces Personnel: Deputation/re-employment.

(11)	(12)	(13)
<p>Deputation: Officer of the Central Government or State Government or Public Sector Undertakings or Autonomous Bodies -</p> <p>(i) holding analogous post on regular basis; or</p> <p>(ii) Vigilance Assistant in level-6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400) with five years regular service in the grade, or</p> <p>(iii) Assistant Section Officer in level-7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400) possessing the qualifications and experience as follows:</p> <p>Essential: (i) Bachelor's Degree from a recognised University; and</p> <p>(ii) Completed the Training in Administrative Vigilance conducted by Institute of Secretariat Training and Management and having three years experience in vigilance and disciplinary matters.</p> <p>Desirable: Knowledge of operation of Computer.</p> <p>Note 1. The period of deputation including period of deputation in another cadre post held immediately preceding this appointment in the same or in some other organization or department of the Central Government shall not ordinarily exceed three years.</p> <p>Note 2. The maximum age-limit for appointment on deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of application.</p> <p>Deputation/re-employment for Armed Forces Personnel: The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons shall be given deputation terms up to the date on which they are due for release from the Armed Forces. Thereafter they may be continued on re-employment.</p>	Not applicable.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4. Stores Officer.	*02 (2018) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Gazetted, non-Ministerial.	Level-7 in the pay matrix Rs. 44900-142400.	Selection.

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	(i) Deputation/Absorption or Promotion; and (ii) for Armed Forces Personnel: Deputation/re-employment.

(11)	(12)	(13)
<p>Deputation: Officer of the Central Government or State Government or Public Sector</p>	<p>Group 'B' Departmental Promotion Committee, for considering promotion, consisting of:</p> <p>1. Head of Personnel, Ministry of - Chairman;</p>	Not applicable.

<p>Undertakings or Autonomous Bodies</p> <p>(a) (i) holding analogous post on regular basis in the department; or</p> <p>(ii) Store Assistant in level-6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400) with five years regular service in the grade, or equivalent in the parent cadre or Department or</p> <p>officers of the Central Government; and</p> <p>(b) having three years experience in handling Stores, maintaining Accounts and Store Books.</p> <p>Desirable: Knowledge of operation of Computer.</p> <p>Note 1: The Departmental Stores Assistant in level-6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400) with five years regular service in the grade shall be considered along with the deputationists. In case he is selected for appointment, the post shall be deemed to have been filled by promotion.</p> <p>Note 2: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or in some other organization or department of the Central government shall not ordinarily exceed three years.</p> <p>Note 3: The maximum age-limit for appointment on deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of application.</p> <p>Deputation/re-employment for Armed Forces Personnel:</p> <p>The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons shall be given deputation terms up to the date on which they are due for release from the Armed Forces. Thereafter they may be continued on re-employment.</p>	<p>Electronics and Information Technology</p> <p>2. One Officer not less than the rank - Member; of Joint Director, Ministry of Electronics and Information Technology</p> <p>3. One officer not less than the rank - Member. of Deputy Secretary to the Government of India from a Ministry or Department or Organisation other than the Ministry of Electronics and Information Technology</p>	
--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5. Assistant Engineer (Electrical).	*01 (2018) *Subject to variation on dependent	General Central Service, Group 'B' non-Gazetted, Ministerial	Level-7 in the pay matrix Rs. 44900-142400.	Not applicable.

	workload.			
--	-----------	--	--	--

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	(i) Deputation/Absorption; and (ii) for Armed Forces Personnel: Deputation/re-employment.

(11)	(12)	(13)
<p>Deputation: Officer of the Central Government or State Government or Public Sector Undertakings or Autonomous Bodies -</p> <p>(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or</p> <p>(ii) Junior Engineer (Electrical) in level-6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400) with five years regular service in the grade or equivalent in the parent cadre or Department; and</p> <p>(b) Possessing the qualifications and experience as follows:</p> <p>Essential: Diploma in Electrical Engineering with three years experience in construction and maintenance including designing, estimating, contracts, supervision etc. of Electrical installations, lifts, sub-station equipment, generating sets, telephone exchange, uninterrupted power supply system, Air conditioning etc.</p> <p>Desirable: Degree in Electrical Engineering from recognised University or Institution.</p> <p>Note 1: The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or in some other organization or department of the Central Government shall not ordinarily exceed three years.</p> <p>Note 2: The maximum age-limit for appointment on deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of application.</p> <p>Note 3: In case, the Junior Engineer (Electrical) appointed in this Ministry on deputation is being considered for absorption, he or she should have completed five years continuous service in the grade before the date of absorption.</p> <p>Deputation/re-employment for Armed Forces Personnel: The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons shall be given deputation terms up to the date on which they are due for release from the Armed Forces. Thereafter they may be continued on re-employment.</p>	Not applicable.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6. Section Officer (Fire).	*01 (2018) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Gazetted, non-Ministerial.	Level-7 in the pay matrix Rs. 44900-142400.	Not applicable.

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	(i) Deputation/absorption; and (ii) for Armed Forces Personnel: Deputation/re-employment.

(11)	(12)	(13)
<p>Deputation: Officer of the Central Government or State Government or Public Sector Undertakings or Autonomous Bodies -</p> <p>(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or</p> <p>(ii) Assistant Section Officer or equivalent in level-7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400) with three years regular service in the grade or equivalent in the parent cadre or Department; and</p> <p>(b) possessing the qualifications and experience as follows:</p> <p>Essential: Having undergone training in Fire Fighting Skills from Delhi Fire Service or equivalent as prescribed by the Central Government.</p> <p>Desirable: Bachelor's Degree from a recognised University.</p> <p>Note 1: The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or in some other organization or department of the Central Government shall not ordinarily exceed three years.</p> <p>Note 2: The maximum age-limit for appointment on deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of application.</p> <p>Deputation/re-employment for Armed Forces Personnel: The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons shall be given deputation terms up to the date on which they are due for release from the Armed Forces. Thereafter they may be continued on re-employment.</p>	Not applicable.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7. Assistant Section Officer.	*75 (2018) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', non-Gazetted, Ministerial.	Level-7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400).	Selection.

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
30 years. (Relaxable for Government servants upto 40 years in the case general candidates and	Essential: Bachelor's Degree from a recognised	Not applicable.	Two years.	(i) Forty per-cent. by promotion; (ii) Ten per-cent. through Limited Departmental

45 years in the case of Scheduled Castes/ Scheduled Tribes candidates in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).	University. Desirable: Knowledge of computer operation.			Competitive Examination; and (iii) Fifty per-cent. by direct recruitment.
---	--	--	--	--

Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).				
--	--	--	--	--

(11)	(12)	(13)
<p>Promotion: Senior Secretariat Assistant in Level-4 in the Pay Matrix (Rs. 25500-81100) who have rendered ten years approved service which should include at least eight years regular and continuous service in the grade.</p> <p>Note 1: The approved service rendered in the grade, on the 1st day of the Recruitment Year, as the residency period will be counted for promotion. The expression "Approved Service" for the various modes of recruitment shall be as under,-</p> <p>(i) in respect of an officer recruited to that grade through departmental examination, period or periods of regular service rendered in that grade, including period or periods of absence during which he would have held a post on regular basis in that grade but for his being on leave or otherwise not being available to hold such post, from the first day of the recruitment year for vacancies of which such examination was</p>	<p>Group 'B' Departmental Promotion or confirmation Committee, for considering promotion or confirmation, consisting of:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Head of Personnel, Ministry of Electronics and Information Technology - Chairman; 2. One Officer not less than the rank of Joint Director, Ministry of Electronics and Information Technology - Member; 3. One officer not less than the rank of Deputy Secretary to the Government of India from a Ministry or Department or Organisation other than the Ministry of Electronics and Information Technology - Member. 	Not applicable.

held;

(ii) in respect of an officer recruited to that grade on the basis of length of service in the lower grade, period or periods of regular service rendered in that grade, including period or periods of absence during which he would have held a post on regular basis in that grade but for his being on leave or otherwise not being available to hold such post, from the first day of the recruitment year for which the recruitment was made:

(iii) in respect of an officer recruited directly to that grade, period or periods of regular service rendered in that grade, including period or periods of absence during which he would have held a post on regular basis in that grade but for his being on leave or otherwise not being available to hold such post, from the first day of the recruitment year, following the year in which the examination for direct recruitment was held;

Provided that where there is delay of more than Ninety days in joining on appointment, in any of the cases mentioned in the sub-clauses (i), (ii) and (iii) above, such delay should not be due to any fault on the part of the officer.

Note 2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered, provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service

by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Limited Departmental

Competitive Examination:

Senior Secretariat Assistant and Stenographer in Level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) in the Ministry of Electronics and Information Technology who have

<p>rendered not less than five years approved service which should include at least four years regular and continuous service in that level in the pay matrix on the crucial date shall be eligible to appear in the Limited Departmental Competitive Examination to be conducted in accordance with the provisions of Assistant Section Officer Limited Departmental Competitive Examination Rules, 2018 in the Ministry of Electronics and Information Technology.</p> <p>The eligibility service for Limited Departmental Competitive Examination shall continue to be three years for persons holding the feeder posts on regular basis as on the date of notification of the revised rules.</p>	
--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8. Personal Assistant.	*50 (2018) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', non-Gazetted, Ministerial.	Level-7 in the pay matrix Rs. 44900-142400.	Selection.

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Two years.	(i) Seventy five per-cent. by promotion; and (ii) Twenty five per-cent. through Limited Departmental Competitive Examination.

(11)	(12)	(13)
<p>Promotion:</p> <p>Stenographer in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) who have rendered ten years approved service which should include at least eight years regular and continuous service in the grade.</p> <p>Note 1: The approved service rendered in the grade, on the 1st day of the Recruitment Year, as the residency period will be counted for promotion. The expression "Approved Service" for the various modes of recruitment, shall be as under,-</p> <p>(i) in respect of an officer</p>	<p>Group 'B' Departmental Promotion or Confirmation Committee, for considering promotion or confirmation, consisting of:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Head of Personnel, Ministry of Electronics and Information Technology - Chairman; 2. One Officer not less than the rank of Joint Director, Ministry of Electronics and Information Technology - Member; 3. One officer not less than the rank of Deputy Secretary to the Government of India from a Ministry or Department or Organisation other than the Ministry of 	Not applicable.

<p>recruited directly to that grade, period or periods of regular service rendered in that grade, including period or periods of absence during which he would have held a post on regular basis in that grade but for his being on leave or otherwise not being available to hold such post, from the first day of the recruitment year, following the year in which the examination for direct recruitment was held;</p> <p>(ii) in respect of an officer recruited to that grade through departmental examination, period or periods of regular service rendered in that grade, including period or periods of absence during which he would have held a post on regular basis in that grade but for his being on leave or otherwise not being available to hold such post, from the first day of the recruitment year for vacancies of which such examination was held;</p> <p>(iii) in respect of an officer recruited to that grade on the basis of length of service in the lower grade, period or periods of regular service rendered in that grade, including period or periods of absence during which he would have held a post on regular basis in that grade but for his being on leave or otherwise not being available to hold such post, from the first day of the recruitment year for which the recruitment was made:</p> <p>Provided that where there is delay of more than Ninety days in joining on appointment, in any of the cases mentioned in the sub-clauses (i), (ii) and (iii) above, such delay should not be due to any fault on the part of the officer.</p> <p>Note 2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered, provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Limited Departmental Competitive</p>	<p>Electronics and Information Technology</p>	
---	---	--

<p>Examination:</p> <p>Stenographer in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) in the Ministry of Electronics and Information Technology who have rendered not less than five years approved service which should include at least four years regular and continuous service in that level in the pay matrix on the crucial date shall be eligible to appear in the Limited Departmental Competitive Examination to be conducted in accordance with the provisions of Personal Assistant Limited Departmental Competitive Examination, Rules, 2018 in the Ministry of Electronics and Information Technology.</p> <p>The eligibility service for Limited Departmental Competitive Examination shall continue to be three years for persons holding the feeder posts on regular basis as on the date of notifications of the revised rules.</p>	
---	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9. Assistant Engineer (Civil).	*01 (2018) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Gazetted, non-Ministerial	Level-7 in the pay matrix Rs. 44900-142400.	Not applicable.

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	(i) Deputation/absorption; and (ii) for Armed Forces Personnel: Deputation/re-employment.

(11)	(12)	(13)
<p>Deputation:</p> <p>Officer of the Central Government or State Government or Public Sector Undertakings or Autonomous Bodies -</p> <p>(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) with five years experience in level-6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400) or equivalent in the parent cadre or Department; and</p> <p>(b) possessing the qualifications and experience as follows:</p> <p>Essential:</p> <p>Degree or Diploma in Civil Engineering or equivalent and experience in</p>	Not applicable.	Not applicable.

<p>construction and maintenance of residential and non-residential buildings, including designing estimating, contracts, supervision etc.</p> <p>Desirable:</p> <p>Experience of maintenance and upkeep of Air-conditioning system, lifts interior decorations, architecture and electrical installation from recognised organisations.</p> <p>Note 1. The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or in some other organization or department of the Central Government shall not ordinarily exceed three years.</p> <p>Note 2. The maximum age-limit for appointment on deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of application.</p> <p>Deputation/re-employment for Armed Forces Personnel:</p> <p>The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons shall be given deputation terms up to the date on which they are due for release from the Armed Forces. Thereafter they may be continued on re-employment.</p>		
--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10. Caretaker	*01 (2018) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', non-Gazetted, non-Ministerial.	Level-6 in the pay matrix Rs. 35400-112400.	Not applicable

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	(i) Deputation/absorption; and (ii) for Armed Forces Personnel: Deputation/re-employment.

(11)	(12)	(13)
<p>Deputation:</p> <p>Officer of the Central Government or State Government or Public Sector Undertakings or Autonomous Bodies -</p> <p>(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre/department; or</p> <p>(ii) with six years regular service in the level-5 in the pay matrix (Rs, 29200-92300) or equivalent in the parent cadre or Department; and possessing three years experience of caretaking and upkeep of buildings; or</p> <p>(iii) with ten years regular service in the level-4 in the pay matrix (Rs, 25500-81100) or equivalent in the parent cadre or Department; and possessing three years experience of caretaking and up keeping of buildings.</p> <p>Note 1: The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or in some other organization or department of the Central Government shall not ordinarily exceed three years.</p> <p>Note 2: The maximum age-limit for appointment on deputation shall not be</p>	Not applicable	Not applicable.

exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of application.		
Deputation/re-employment for Armed Forces Personnel: 2. The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons shall be given deputation terms up to the date on which they are due for release from the Armed Forces. Thereafter they may be continued on re-employment.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11. Security Supervisor.	*02 (2018) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', non-Gazetted, non-Ministerial.	Level-6 in the pay matrix Rs. 35400-112400.	Not applicable.

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
30 years. (Relaxable for Government servants in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	Essential: (i) Bachelor's Degree from a recognised University; and (ii) three years of experience of supervising security or fire fighting work in the Government or recognised Organisations. Desirable: Degree or Diploma or Certificate in maintenance of Security or fire fighting equipments from Government or recognised institutes.	Not applicable.	Two years for direct recruits.	(i) Direct Recruitment/ deputation/absorption; and (ii) for Armed Forces Personnel: Deputation/re-employment.

(11)	(12)	(13)
Deputation: Officers of the Central Government or State Government or Public Sector Undertakings or Autonomous Bodies: (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or	Group 'B' Departmental Confirmation Committee, for considering confirmation, consisting of: 1. Head of Personnel, Ministry of - Chairman; Electronics and Information Technology 2. One Officer not less than the rank - Member; of Joint Director, Ministry of Electronics	Not applicable.

<p>department; or</p> <p>(ii) with six years regular service in the level-5 in the pay matrix (Rs. 29200-92300) or equivalent in the parent cadre or Department; and three years experience of supervising security and fire fighting work. or</p> <p>(iii) with ten years regular service in the level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) or equivalent in the parent cadre or Department; and three years experience of supervising security or fire fighting work.</p> <p>Note 1: The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or in some other organization or department of the Central Government shall not ordinarily exceed three years.</p> <p>Note 2: The maximum age-limit for appointment on deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of application.</p> <p>Note 3: In case the incumbent appointed on deputation is considered for absorption, he/she should have completed six years of regular service in the level-5 and ten years or regular service in the level-4 on the date of absorption.</p> <p>Deputation/re-employment for Armed Forces Personnel:</p> <p>The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons shall be given deputation terms up to the date on which they are due for release from the Armed Forces. Thereafter they may be continued on re-employment.</p>	<p>and Information Technology</p> <p>3. One officer not less than the rank - Member. of Deputy Secretary to the Government of India from a Ministry or Department or Organisation other than the Ministry of Electronics and Information Technology</p>	
--	---	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12. Store Assistant.	*01 (2018) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', non-Gazetted, non-Ministerial.	Level-6 in the pay matrix Rs. 35400-112400.	Not applicable.

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
-----	-----	-----	-----	------

<p>30 years.</p> <p>(Relaxable for Government servants upto 40 years in the case of general candidates and 45 years in the case of Scheduled Castes/Scheduled Tribes candidates in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).</p> <p>Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).</p>	<p>Essential:</p> <p>(i) Bachelor's Degree from a recognised University; and</p> <p>(ii) two years experience from recognised organisations in handling stores and keeping accounts of Electrical and Electronics items.</p> <p>Desirable:</p> <p>(i) Diploma or Certificate in Store and Material Management from a recognised institution.</p> <p>(ii) Knowledge of computer operation.</p>	Not applicable.	Two years.	Direct recruitment.
--	---	-----------------	------------	---------------------

(11)	(12)	(13)
4. Not applicable.	<p>Group 'B' Departmental Confirmation Committee, for considering confirmation, consisting of: -</p> <p>1. Head of Personnel, Ministry of Electronics and Information Technology - Chairman;</p> <p>2. One Officer not less than the rank of Joint Director, Ministry of Electronics and Information Technology - Member;</p> <p>3. One officer not less than the rank of Deputy Secretary to the Government of India from a Ministry or Department or Organisation other than the Ministry of Electronics and Information Technology - Member.</p>	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
13. Vigilance Assistant.	<p>*01 (2018)</p> <p>*Subject to variation dependent on workload.</p>	General Central Service, Group 'B', non-Gazetted, Ministerial.	Level-6 in the pay matrix Rs. 35400-112400.	Not applicable.

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	<p>(i) Deputation/absorption; and</p> <p>(ii) for Armed Forces Personnel:</p>

				Deputation/re-employment.
--	--	--	--	---------------------------

(11)	(12)	(13)
<p>Deputation:</p> <p>Officer of the Central Government:</p> <p>(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) with six years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level-5 in the pay matrix (Rs. 29200-92300) or equivalent in the parent cadre or Department; or</p> <p>(iii) with ten years regular service in the grade after appointment thereto on a regular basis in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) or equivalent in the parent cadre or Department; and</p> <p>(b) possessing the following experience:</p> <p>Essential: Three years experience in establishment, vigilance and disciplinary matters and having successfully completed the Training in Administrative Vigilance conducted by Institute of Secretariat Training and Management.</p> <p>Desirable: Knowledge of operation of computer.</p> <p>Note 1: The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or in some other organization or department of Central Government shall not ordinarily exceed three years.</p> <p>Note 2: The maximum age-limit for appointment on deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of application.</p> <p>Deputation/re-employment for Armed Forces Personnel:</p> <p>5. The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons shall be given deputation terms up to the date on which they are due for release from the Armed Forces. Thereafter they may be continued on re-employment.</p>	Not applicable.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
14. Publication Assistant.	*01 (2018) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', non-Gazetted, non-Ministerial.	Level-6 in the pay matrix Rs. 35400-112400.	Not applicable.

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	(i) Deputation/absorption; and (ii) for Armed Forces Personnel: Deputation/re-employment.

(11)	(12)	(13)
Deputation:	Not applicable.	Not applicable.

<p>Officer of the Central Government or State Government:</p> <p>(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) with six years regular service in the in level-5 in the pay matrix (Rs. 29200-92300); or</p> <p>(iii) with ten years regular service in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) or equivalent; and</p> <p>(b) possessing the following qualification and experience:</p> <p>Essential:</p> <p>(i) Degree from a recognized University or Institution, and</p> <p>(ii) two years experience in handling publication work.</p> <p>Desirable:</p> <p>(a) Degree or Diploma in Journalism.</p> <p>(b) Experience in the field of editing both in English and Hindi.</p> <p>Note 1: The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or in some other organization or department of the Central Government shall not ordinarily exceed three years.</p> <p>Note 2: The maximum age-limit for appointment on deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of application.</p> <p>Deputation/re-employment for Armed Forces Personnel:</p> <p>The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons shall be given deputation terms up to the date on which they are due for release from the Armed Forces. Thereafter they may be continued on re-employment.</p>		
--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
15. Transport Supervisor.	*01 (2018) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', non-Gazetted, non-Ministerial.	Level-6 in the pay matrix Rs. 35400-112400.	Not applicable.

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	(i) Deputation/promotion; and (ii) for Armed Forces Personnel: Deputation/re-employment.

(11)	(12)	(13)
Deputation: Officer of the Central Government or State Government or Public Sector Undertakings or Autonomous Bodies (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or	Group 'B' Departmental Promotion Committee, for considering promotion, consisting of: - 1. Head of Personnel, Ministry of - Chairman; Electronics and Information Technology 2. One Officer not less than the rank - Member;	Not applicable.

<p>department; or</p> <p>(ii) Staff Car Driver (Grade-I) in level-5 in the pay matrix (Rs. 29200-92300) with six years regular service in the grade.</p> <p>Note 1: The departmental Staff Car Drivers (Special Grade) in level-6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400) with three years regular service in the grade shall be considered along with the deputationists. In case he is selected for appointment, the post shall be deemed to have been filled by promotion.</p> <p>Note 2: The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or in some other organization or department of Central Government shall not ordinarily exceed three years.</p> <p>Note 3: The maximum age-limit for appointment on deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of application.</p> <p>Deputation/re-employment for Armed Forces Personnel:</p> <p>6. The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons shall be given deputation terms up to the date on which they are due for release from the Armed Forces. Thereafter they may be continued on re-employment.</p>	<p>of Joint Director, Ministry of Electronics and Information Technology</p> <p>3. One officer not less than the rank - Member. of Deputy Secretary to the Government of India from a Ministry or Department or Organisation other than the Ministry of Electronics and Information Technology</p>	
--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
16. Junior Engineer (Civil).	*01 (2018) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', non-Gazetted, non-Ministerial	Level-6 in the pay matrix Rs. 35400-112400.	Not applicable.

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
30 years. (Relaxable for Government servants, Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/Physically Handicapped/Ex-serviceman in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).	Diploma in Civil Engineering from an Institute recognised by the Central Government.	Not applicable.	Two years for direct recruits.	(i) Direct Recruitment/ Deputation/absorption; and (ii) for Armed Forces Personnel: Deputation/re-employment.

<p>Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).</p>				
---	--	--	--	--

(11)	(12)	(13)
<p>Deputation: officers of Government of India or State Government or Public Sector Undertakings or Autonomous Bodies holding analogous post with qualifications specified at column (7).</p> <p>Note 1: The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post immediately preceding this appointment in the same or in some other organization shall not ordinarily exceed three years.</p> <p>Note 2: The maximum age limit for appointment on deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of application.</p> <p>Deputation/re-employment for Armed Forces Personnel:</p> <p>7. The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons shall be given deputation terms up to the date on which they are due for release from the Armed Forces. Thereafter they may be continued on re-employment.</p>	<p>Group 'B' Departmental Confirmation Committee, for considering confirmation, consisting of :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Head of Personnel, Ministry of Electronics and Information Technology - Chairman; 2. One Officer not less than the rank of Joint Director, Ministry of Electronics and Information Technology - Member; 3. One officer not less than the rank of Deputy Secretary to the Government of India from a Ministry or Department or Organisation other than the Ministry of Electronics and Information Technology - Member. 	<p>Not applicable.</p>

[F.No. 1(4)/2017-Pers.III]

RAJIV KUMAR, Jt. Secy.